मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-4/2021/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2021/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पांचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01 मार्च, 2022 (भुगतान माह अप्रैल, 2022) से क्रमश: 1195% एवं 250% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते में 01 अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितम्बर, 2022) से 03% की वृद्धि की गई है। अत: पैरा-1 में वर्णित कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि के दृष्टिगत निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
1	2
म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में वेतन पाने वाले, दिनांक 01 अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितम्बर, 2022)	मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो) (1195+30) कुल 1225%
50% मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित -म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998. दिनांक 01 अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितम्बर, 2022)	वेतन+ मंहगाई वेतन के योग (250+08) कुल 258%

निरंतर.....2

3/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ा जावेगा।

4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा।

5/ इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते का भुगतान विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान से किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 4-4/2021/नियम/चार **भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल, के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
8. अध्यक्ष, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
12. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश
13. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
15. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
16. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
17. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
18. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग